भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2052

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को विद्युत का आवंटन

2052. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को उसकी आवश्यकताओं के अुनसार केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से बिजली का आवंटन सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति बहुल शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने दिनांक 30.06.2026 तक केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशन (सीजीएस) से उत्तर प्रदेश को 11,269.93 मेगावाट की फर्म विद्युत और अनाबंटित कोटा से 250.6 मेगावाट विद्युत सहित 11,520.53 मेगावाट विद्युत आवंटित की है।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण का कार्य संबंधित विद्युत यूटिलिटी/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित मांग से ज्यादा रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद आयोजना भी शामिल है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2026 तक) के लिए ऊर्जा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है। 'आपूर्तित ऊर्जा', केवल मामूली अंतर के साथ जो आम तौर पर राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है, 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्यों/वितरण यूटिलिटी की सहायता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस)" शुरू की। केंद्र सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सहित स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है। स्कीम बंद होने की तिथि 31.03.2028 है। इस स्कीम के अंतर्गत, हानि न्यूनीकरण संबंधी अवसंरचनात्मक कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हानि न्यूनीकरण कार्यों में पुराने कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नए सबस्टेशनों का निर्माण, सबस्टेशनों का उन्नयन, नए वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) की संस्थापना, डीटी का उन्नयन, फीडर पृथक्करण कार्य आदि शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 21,782 करोड़ रुपये की हानि न्यूनीकरण संबंधी अवसंरचनात्मक कार्यों और 18,956 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में 230.88 करोड़ रुपये की हानि न्यूनीकरण संबंधी अवसंरचनात्मक कार्यों और 234.02 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। हानि न्यूनीकरण कार्यों ने लगभग 61% की वास्तविक प्रगति हासिल की है।

(ii) भारत सरकार ने ग्रामीण वितरण नेटवर्क को सुदृढ करने तथा गांवों एवं घरों के विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता की है। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के 1,498 गांवों सहित कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के दौरान, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा किया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 91.8 लाख घर और शाहजहांपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1,23,284 घर शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं। भारत सरकार आरडीएसएस के अंतर्गत, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति घरों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरस्थ और सीमावर्ती घरों

सहित छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में 2,58,700 घरों और शाहजहांपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2,924 घरों सहित 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

(iii) विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम 10 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। राज्य आयोग कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटों को निर्दिष्ट कर सकता है।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है।

जिला मुख्यालय (एचक्यू) (घंटा:मिनट)	**तहसील (घंटा:मिनट)**	**ग्रामीण (घंटा:मिनट)**
24:00	21:30	18:00

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2052

अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2026 तक) में ऊर्जा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट में (एमयू)]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2023-24	1,48,791	1,48,287	504	0.3
2024-25	1,65,090	1,64,786	304	0.2
2025-26	1,63,501	1,63,475	26	0.0
2026-27 (जून 2026 तक)*	49,411	49,401	10	0.0

() जून, 2026 माह के लिए डेटा अनंतिम है।*
